उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन

ए.आई.आर.1975 एस.सी.563

राज्य

इस मुकदमें के तथ्य भी वही थे जो सुभाष चन्द्र के मुकदमें के थे। उच्चतम न्यायालय में यह मुकदमा उस निर्णय के विरुद्ध अपील में आया था।

विवादक

क्या उत्तर प्रदेश सरकार का वह आदेश संविधानिक रूप से विधिमान्य था जिससे ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण से संबंधित अनुदेश दिए गए थे?

उद्धरण

मुख्य न्यायमूर्ति ए.एल. रायः- बालाजी के मुकदमे (1963 अनुपूरक 1 एस.सी.आर. 439=1963 एन.सी. 649) (सुपरा) में यह स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 15(4) में प्रयुक्त पदावली ''सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग'' में वर्णित सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन के सदृश होना चाहिए। पदावली ''नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग'' को परिभाषित करना कठिन है। नागरिकों की पारम्परिक अपरिवर्तनशील उपजीविकाओं का उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन में काफी योगदान रहता है। निवास स्थान और उनके पर्यावरण से भी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का अवधारण किया जा सकता है।

पदावली ''नागरिकों के वर्ग'' किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के सजातीय प्रवर्ग को निर्देशित करती है जो कतिपय समानताओं और सामान्य विशेषताओं के कारण समूहबद्ध हो गए हो और जिनकी पहचान उनके कुछ सामान्य गुणों से की जा सकती है। नागरिकों के वर्ग की ऐसी सजातीयता ही उनका सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। नागरिकों की जाति अथवा धर्म अथवा जन्म-स्थान की समानता उन्हें ''नागरिकों का वर्ग'' बनाने वाले सामान्य गुणों का समान तत्व नहीं होगी।

सामाजिक पिछड़ेपन की विशेषताएं हैं-उसमें कोई सामाजिक ढांचा नहीं होता, कोई सामाजिक अधिक्रम नहीं होता। उसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रित करने के साधन नहीं होते। उसमें समाज का कोई ऐसा संगठन नहीं होता जो व्यक्तियों के उत्थान तथा अर्थ-व्यवस्था के सुधार की प्रेरणा दे सके। कस्बों और उद्योगों का निर्माण, नकदी अर्थ-व्यवस्था का संवर्द्धन आदि जैसे

अनेक कारक ऐसे समाज के विकास की प्रक्रिया में विद्यमान नहीं होते जिनसे अधिक से अधिक धन प्राप्त होता है तथा उसे साधनों की स्थिति में भारी परिवर्तन करके ही सम्पन्न, बनाया जा सकता है। उच्च भूमि और पहाड़ियों का वित्तीय मूल्यों और प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से विकास किया जाना अपेक्षित है। प्रकृति एक खजाना है। शिक्षा और प्रोद्योगिकी की सहायता से वन, पर्वत, नदियां उत्पादन कर सकती हैं और समाज को समुन्नति के पथ पर ले जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय और उत्तरखंड क्षेत्र इन कारणों से नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के दृष्टान्त प्रस्तुत करते है। किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन का निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि क्या उसके पास अपनी खुद की इतनी आर्थिक क्षमता है जिससे वे उसमें रहने वाले व्यक्तियों का भरण- पोषण कर सकें और उन्हें रहन-सहन का स्तर और स्थायी सम्पत्ति प्रदान कर सके। आर्थिक दृष्टि से नागरिक के वर्ग तब पिछड़े हुए होते हैं जब वे अपने साधनों का फलोत्पादक प्रयोग नहीं कर पाते। यदि भूमि के बड़े-बड़े क्षेत्रो में ऐसे विरल, अव्यवस्थित और अशिक्षित लोग रह रहे हो, जिनकी सम्पत्ति थोड़ी और नगण्य है तो वहां सामाजिक पिछड़ेपन का तत्व माना जाता है। जब पर्वतीय और उत्तराखण्ड क्षेत्रों की भांति संचार के साधनों और तकनीकी सुविधाओं के अभाव में किसी प्रदेश को कारगर ढंग से अनुकूल बनाना संभव न हो तो वहां के व्यक्ति नागरिकों के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे तो दूरस्थ स्थानों पर व्यक्तियों के लिए नगण्य अवसर व्यक्तियों के सामाजिक पिछड़ेपन की दीवार खड़ी कर देते हैं।

शैक्षिक पिछड़ेपन का अभिनिश्चय इन कारको को ध्यान में रख कर किया जाता है-यदि किसी क्षेत्र के व्यक्तियो की सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों अथवा व्यावसायिक बाधाओं के कारण शिक्षा के संबंध में परम्परागत उदासीनता हो तो वह क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा। पर्वतीय और उत्तराखण्ड क्षेत्र अगम्य है। वहां पर शैक्षिक संस्थानों और शिक्षा के लिए वह सहायक सामग्री की कमी है. पर्वतीय और उत्तराखण्ड के व्यक्ति नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का दृष्टांत प्रस्तुत करते है क्योंकि शिक्षा की सुविधाओं की कमी उन्हें निष्क्रिय बनाए रखती है और उन्हें न तो शिक्षा के अर्थ और महत्व का पता होता है और न ही उनमें शिक्षा के प्रति जागृति होती है।

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 54.79 करोड़ थी। इसमें से 43.89 करोड़ या 80.1 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 10.90 करोड़ या 19.9 प्रतिशत व्यक्ति शहरों और कस्बों में रहते है। सन् 1921 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या 88.8 प्रतिशत थी। सन् 1971 में यह घटकर 80.1 प्रतिशत रह गई थी। सन् 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मोटे तौर पर साढ़े सात करोड़ और उत्तराखण्ड की साढ़े साठ लाख थी। उत्तर प्रदेश में

पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग 25 लाख थी। यह बात समझ में नहीं आती कि ग्रामीण क्षेत्रों के 80.1 प्रतिशत व्यक्ति या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 7 करोड़ व्यक्ति किस प्रकार गरीबी के कारण सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बताए जा सकते है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से यह भी कहना सम्भव नहीं हैं कि गरीबी ग्रामीण व्यक्तियों की एक सामान्य विशेषता है। इस न्यायालय ने जे.पी. परिमू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1973) 3 एस.सी.आर. 236 = (ए.आई.आर. 1973, एस.सी.930=1973 लेब.आई.सी. 568) में यह कहा था कि यदि गरीबी पिछड़ेपन का अवधारण करने की बनाम कसौटी हो तो हमारे देश को जनसंख्या का एक बड़ा भाग नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग बन जाएगा। गरीबी सर्वत्र स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और वह सम्भवतः शैक्षिक रूप से समुन्नत और सामाजिक रूप से सम्पन्न वर्गो से तो और भी अधिक है। गरीबी के इस आधार पर कि शहरी क्षेत्रों के व्यक्ति गरीब नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति गरीब हैं हमारे देश की जनसंख्या के विभाजन का समर्थन न तो तथ्यों से होता है और न ही किसी ऐसे विभाजन से जिसमें एक और तो शहरी व्यक्ति हो और दूसरी और सामाजिक ओर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के ग्रामीण व्यक्ति।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में से कुछ शैक्षिक रूप से, कुछ सामाजिक रूप से और कुछ सामाजिक और शैक्षिक दोनों रूप से पिछड़े हुए हो सकते है।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्वतः हीं एक सजातीय वर्ग बन गया है। वे व्यक्ति एक ही प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं। उनकी उपजीविकाएं भिन्न है। उनका रहन-सहन अलग-अलग प्रकार का है। जनसंख्या स्वतः हीं एक वर्ग नहीं बन सकती। उसमें ग्रामीणता के तत्व विद्यमानता उसे वर्ग नहीं बना देती। यह कहना कि ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उक्त राज्य के अधिकांश व्यक्तियों के लिए आरक्षण करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण की बात इस आधार पर नहीं मानी जा सकती कि वे नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आरक्षण उक्त राज्य के अधिकांश व्यक्तियों के लिए किया गया प्रतीत होता है। उक्त राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या एक सजातीय वर्ग नहीं हो सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी किसी ऐसे वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकती जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण का समर्थन कर सके। भारत के प्रत्येक भाग में गरीबी देखने को मिलती है। सीटों के आरक्षण संबंधी अनुदेशों में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षित सीटों के लिए आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अपने आवेदन-पत्र में अपने

जिले के जिला मजिस्ट्रेट से लिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसका जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है और उसका वहां स्थायी निवास-स्थान है और वह वहां रह रहा है अथवा उसका जन्म भारत में हुआ और उसके माता-पिता अब भी ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होना हीं मूल योग्यता बना दिया गया है। अतः जन्म स्थान के आधार पर कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा।

यह सिद्ध करने का भार उक्त सरकार पर है कि आरक्षण नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए किया गया है। उक्त सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि पर्वतीय और उत्तराखंड क्षेत्रों के व्यक्ति नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है।

निर्णय

(1) पर्वतीय और उत्तराखण्ड क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए किया गया आरक्षण विधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए किया गया आरक्षण अविधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया।